कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक–2658/12–1, दिनांकः मसूरी, 29 जनवरी 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
नई टिहरी।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद– टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–जौनुपर में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–3.250किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 2.0825 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/23941/2017, एंव आपकी पत्र सं0 1578/ पी0–सिं0 ख0– 2/14सी, दिनांक 28–12–2017

महोदय,

उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की दो छाया प्रति (ब्लैक–व्हाईट) दिनांक 29–12–2017 को इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। तदुपरान्त आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। प्रभाग स्तर से आनलाईन प्रस्ताव की जॉच /परीक्षण में कतिपय निम्न कमियां पायी गयी तथा इस कार्यालय के पत्र सं0 1886/12–1, दिनांक 25–11–2017 में इंगित कमियों का निराकरण किये बिना आपके द्वारा प्रस्ताव पुनः आनलाईन किया गया। आनलाईन प्रस्ताव मय (02) दो प्रतियां आपको इस आशय से वापस लौटायी जा रही है कि आनलाईन प्रस्ताव में निम्न कमियों का निराकरण करते हुए आनलाईन प्रस्ताव मय दो हार्ड प्रति (स्कैन/कलर) अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के K(a) में अपलोड वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्गत (प्रपत्र–30) Form-I, (प्रपत्र–30.1) तथा (प्रपत्र–30.2) Form-II, अनापत्ति प्रमाण–पत्रों में जिलास्तरीय बैठक(Meeting Date) की तिथि अंकित नहीं है। कृपया वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्रों में सक्षम स्तर से जिलास्तरीय बैठक की तिथि अंकित करते हुए वांछित अभिलेख पुनः यथास्थान अपलोड किये जायं।
2. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के L(c) copy of kml file of the patch में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित /प्रस्तावित स्थल की kml file अपलोड की जानी थी जबकि आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग का Geo refrence map अपलोड किया गया है। कृपया आनलाईन प्रस्ताव में यथास्थान वांछित पर के स्थान पर kml file अपलोड किया जाय।
3. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के L(e) Present Owner में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित /चयनित सिविल सोयम भूमि का वर्तमान स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण–पत्र /वैधानिक स्थिति अपलोड किया जाना चाहिऐ था, जबकि आपके द्वारा उक्त स्थान पर Present Owner UA अंकित किया गया है जो सही नहीं है।
4. प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.0825 है0 वन भूमि के बदले दुगने वांछित 4.165 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना के अन्तर्गत विभिन्न 6 खसरा न0 की जिस सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है (कुल 6.49 अर्थात 4.165है0) वन अनवरत न होकर छोटे–छोटे टुकड़ो में बिखरी है (जैसा कि गूगल मानचित्र, डिजीटल एंव जियों रिंफरेन्स मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है)। ऐसे क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना अव्यवहारिक तो है ही, साथ ही वनीकरण की सुरक्षा के दृष्टिगत् भी उपयुक्त नहीं है। इस सम्बन्ध में आपको प्रभागीय कार्यालय के पत्र सं0 1886/12–1, दिनांक 25–11–2017 द्वारा अवगत कराया गया था, किन्तु आपके स्तर से इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी/आख्या प्राप्त नहीं हुई, तथा आनलाईन प्रस्ताव एंव प्रस्ताव की हार्ड प्रति में गूगल मानचित्र, डिजीटल एंव जियों रिंफरेन्स मानचित्र पूर्व की भांति अपलोड हैं।

अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित सिविल भूमि का एक खण्ड़ में होना तकनीकी, व्यवहारिक एंव वनीकरण की सफलता/सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एकमुश्त नये क्षेत्र का चयन कर वांछित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का डिजीटल मैप, जियोरिफरेन्स मानचित्र आनलाईन अपलोड कर उसकी हार्ड प्रति मय सी0डी0 इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें

संलग्नक–उक्तानुसार। (प्रस्ताव की दो प्रति)

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।